

संपादकीय शरणार्थियों को मिली नागरिकता

पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांगलादेश में दशकों से प्रताङ्गित होते आ रहे गैर मुस्लिम भारतीयों को राहत देने हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का बेशक विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया गया हो लेकिन 15.5.24 का दिन भारत में आये उपरोक्त देशों के शरणार्थियों के लिए राहत देने वाले एक ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। गत बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अंजय भल्ला ने नार्थ ब्लाक स्थित अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपकर इसकी शुरुआत की। वैसे देशभर में कुल 300 शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई। अन्य लोगों को ईमेल के जरिये नागरिकता के सर्टिफिकेट भेजे गए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आखिर शरणार्थियों का दरावंकों का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी यानी वादा पूरा होने की गारंटी बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार हर एक शरणार्थी को भारत की नागरिकता देकर रहेगी। सीएए बंगल में बड़ा चुनावी मुद्दा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ बयान दे रही है। वही, शाह ने ममता पर लोगों को गुप्तराह करने का आरोप लगाया। वैसे तो दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पास हुआ था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर इस पर अमल नहीं हो पाया था। लगभग साढ़े चार साल बाद 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित कर इसे अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया। इसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले बांगलादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले छह धर्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता के आवेदन के लिए आनन्दाइन पोर्टल, पूरी प्रक्रिया डिजिटल: सीएए के तहत नागरिकता के लिए सरकार ने Indiancitizenshiponline.nic.in नामक पोर्टल लांच कर आनन्दाइन आवेदन की सुविधा दी और शरणार्थियों को आवेदन में मदर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। नागरिकता देने का काम तीव्र गति से पूरा करने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया। इन नियमों के तहत सभी जिलों में वरिष्ठ डाक अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। जिला स्तरीय समितियां आवेदन के साथ दिए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को भारत के प्रति निया की शपथ दिलाती हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर गृह सचिव ने नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया, वे दिल्ली के हैं और दिल्ली की राज्य स्तरीय समिति ने उन्हें भारत की नागरिकता के लिए उपयुक्त पाया है।

शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के साथ ही जहां शरणार्थियों को नई पहचान मिली वही भारतीय इतिहास में एक अद्याय भी जुड़ गया है। भारत सरकार का यह कदम पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांगलादेश में प्रताङ्गित हो रहे गैर मुस्लिम भारतीयों के लिए एक राहत व आशाभी नई सुवह की तरह है। वही वर्षों से भारत में रह रहे शरणार्थियों को नई पहचान देने के साथ राहत भी देगा।

-इविन

आजानी-अंबानी पर राहुल गांधी खानोंत तो है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं अडानी-अंबानी के खिलाफ बोले, इन पर अविश्वस जतायें, गहुल गांधी से कथित दोस्ती करने पर अडानी-अंबानी को कोर्सों, लोकसभा चुनावों को प्रधानित करने का अप्रत्यक्ष अंगरेजी-अंबानी पर लगायें, इसकी अंगरेजी ही रही दें। लेकिन राजनीति एसी ही चीज है, कब क्या घटित हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया को साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है। जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है। जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जाना भी आशाभी ही जारी है। जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ खड़ा हो जायेगा, वही नहीं कहा जा सकता है।

आजानी-अंबानी की साथ खड़ा हो जायेगा, कब को नरेन्द्र मोदी की खिलाफ किया की साथ

घटते मतदान का सिलसिला जारी

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में भी मतदान 2019 के मुकाबले कम ही रहा। चुनाव और राजनीतिक दलों के तात्पर प्रयासों के बाद भी गोरख अपेक्षित संख्या में बोट देने नहीं निकल रहे हैं, यह सभी की चिंता का विषय है। लेकिन इसका असली कारण यही है कि चुनाव में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिससे यह महान् बने कि देश में कोई सरका परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में सत्तरुद्ध दल के समर्थक बोटर तथा विरोधी दलों के समर्थक मतदाता भी बहुत ज्यादा उत्साह से थोड़े से नहीं निकल रहे हैं। गहर की बात इतनी है कि चुनाव के शुरुआती दो चरणों के मुकाबले तीसरे और चौथे चरण में स्थिति कहुँ बेहतर है। अगर मप्र की बात करें तो तीसरे चरण में दो तीन सीटों पर मतदान पिछले चुनाव की तुलना में कुछ ज्यादा दर्ज आया था जैसे कि राजनगढ़। लेकिन ये बढ़ा हुआ मतदान के किसके पक्ष में है, यह नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात है कि चौथे चरण में 8 सीटों पर भी बढ़ा हुआ है। लेकिन ये मतदान ज्यादा भले न हुआ है, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ है।

लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए के अधिकार प्रत्याशी वम्पर मरिजन से जीत थे, जबकि विपक्षी कांग्रेस के उमीदवार बहुत अंतर से जीत पाए थे। इस बार मप्र की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव का औसत प्रतिशत 2014 से ज्यादा और 2019 से कम है सकता है। यह मतदान प्रतिशत और मतदान 65 प्रतिशत हो सकता है। ध्यान रहे कि 2014 में राज्य में लोकसभा चुनाव में 61 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था, जो 2019 में 10 फीसदी बढ़कर 71 फीसदी से ज्यादा हो गया था और भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीत ली थीं। मतदान में 10 फीसदी की यह वृद्धि अभूतपूर्वी थी और लोग मोदी सरकार को बापस लाने के लिए घर से निकले थे। लेकिन इस बार तो मोदी सरकार को खतरा किसी से महसूस ही नहीं हो रहा है। इस बार भी लगभग वही स्थिति बनती दिख रही है। कांग्रेस दो तीन सीटों पर जीत सकती है। यह भी संभव है कि कांग्रेस को एक भी सीट न मिले। क्योंकि भाजपा लंबे समय से मिला 29 पर काम कर रही है। इस चुनाव में आदिवासी इलाकों में उत्तरी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, जिसकी कि उमीदी की जा रही थी। इलाका मुख्य विषय के पास कोई ठोस मुद्दा न होना तथा सम्मुच्चा चुनाव कैम्पेन मोदी विरोध और बोरोजारी, महाराष्ट्र पर केन्द्रित होना है। मप्र में तो चाहुए गांधी को छोड़कर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचारक के लिए नहीं आया। गुहार गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं तो आप नेता अविवाद के जरीवाल ने यह भवित्वान्वयी करके सभी को चौका दिया था कि अगले पीएम मोदी नहीं बल्कि अपनी शाही हो रही है। लेकिन उन सब पर मोदी और राममदिंद का मुद्दा भारी पड़ सकता है। चुनाव नीतों को यह सर्वाधिक प्रभावित करेगा। यह मुद्दे इस चुनाव में अंडर कर्ट की तरह से हैं, जो बाहर से भले न दिखाई दे, लेकिन जो मतदान के दिल से जुड़े हैं। समझें देश में लोकसभा चुनाव के तीन चरण अभी बाकी हैं। उनमें भी मतदान का बही ट्रेंड रहता है तो नीतीजे 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास ही रह सकते हैं।

धर्म आधारित जनसंख्या का बढ़ता असंतुलन

धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन को नजर अंदर जानी है। जनसंख्या का यह 'असंतुलन' ही अंत में गौगोलिक सीमा में बदलाव का कारण होता है, यह हम 1947 में देख चुके हैं जब देश का विभाजन जनसंख्या के 'असंतुलन' के कारण ही हुआ था। दुनिया में भी जनसंख्या 'असंतुलन' से हुए बदलावों के कई उदाहरण हैं जैसे कि ईस्ट तिनों, दक्षिण सूदान और कोसोवो आदि जनसंख्या में असंतुलन के कारण ही नए देश बने हैं। लेबनान जैसे अति समुद्र देश जनसंख्या

असंतुलन के कारण तबाह हो गए। समय आ गया है कि केंद्र में आने वाली एन.डी.ए. की सरकार कुछ सख्त फैसले ले और देश में जनसंख्या नियंत्रण, समाज अचार सहित जैसे कानून लाए। इससे आबादी बढ़ा कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की प्रवृत्ति पर योक लगेगी। जनसंख्या नियंत्रित होने से देश के हर नागरिक, वाह वह किसी मजहब की मानने वाला हो, के कल्याण के लिए देश के संसाधनों के सम्यक उपयोग का

दूसरा प्रश्न देश होगा।

श्याम जाजू

18वीं लोकसभा के चुनावों की गहराई के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसे देश पहले ही जनता था पर अधिकारिक तौर पर मोहर अब लगा है। पिछले साल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.एसी.पी.एस.) द्वारा जारी 'धर्मिक अत्यसंख्यकों की हिस्सेदारी' एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण (1950-2011) 'शीर्षक से एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में बहुसंख्यकों (हिन्दुओं) की जनसंख्या



इस रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पसंख्यक के केवल सुविधित हैं, बल्कि वास्तव में भरत में फैल-फैल रहे हैं।

पर इस रिपोर्ट के जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी, देश में सेवक-उलरिज्ज की अवधारणा पर चोट पहुंचवाएं। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां वहां भी हफल है। वह यह कि जैसे-जैसे विन्डों की संख्या

चंगी,



मिलने लगी नागरिकता

ना गरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएस के तहत चौदह लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। पड़ोसी देशों में प्रताङ्गा का शिकाय रहे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को यह नागरिकता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2014 तक या उसके पूर्व भारत आए बांलादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर, 2019 में लागा गया था। इसमें हिन्दू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समूदाय के लोग शामिल थे। पोर्टल के मध्यम से लिए गए आवेदनों के दस्तावेज़ के संतापन के बाद आवेदकों को निष्ठा से यथा भी दिलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शह ने इसे एतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा मंत्री की गणरायी, बाद

परा होने की गणरायी। विवादों में घिर रहा कदम आम चुनाव के दृष्टान्त उठाकर केंद्र सरकार ने मतदाताओं को स्पष्ट तौर पर यही दर्शन का प्रयास किया है। विषय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका भारी विरोध हुआ है। एप्सीआर इटनेशनल ने कहा कि इसका कार्यान्वयन समानता और धार्मिक गैर-भेदभाव के भारतीय संवैधानिक मूल्यों के लिए झटका है। सीएस के देश के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के स्थान असंगत बताया गया। आलोचकों की दखली कि यह देश के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव दर्शा रहा है, अनुचित नहीं कही जा सकती। दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है जिनमें भी शामिल हैं, जिन्हें ही-न किन्हें करारों से प्रताङ्गित किया जाता है। धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर स्पष्ट रूप से खास समूदाय के शरण न देने की बात करना कर्तव्य नहीं है। परंतु धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले इस संवेदनशील बताते हुए एक्स पर लिखा गया। आलोचकों की दखली कि यह उत्तरने को कठिन रहा नहीं नजर आता।

संवैधानिक सिद्धांतों का समान करते हुए विश्वाल हृदयता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। यह कहना गलत नहीं है कि आवेदकों को जांच बेहद सरकारीपूर्वक किए जाने की जरूरत है। इसमें भी एक्स पर लिखा गया कि दुनिया भर में शारणियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी तो आवेदकों में नागरिकता प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त हो पाई है। राजनीति से दूर के आवेदनकर्ताओं के कस्तों का अस्वास करते हुए प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है।

सुधरें जांच एजेंसियां

स वैन्च न्यायालय ने प्रवीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया। प्रवीर समाचार वेबसाइट 'युजुलिक' के संस्थापक संपादक हैं, जिन्हें 3 अक्टूबर,

2023 इस आरोप में गिरफतार किया गया था कि वह चीन से पैसे लेकर भारत के बिल्डर दुष्प्रचार करते हैं। उनकी गिरफतारी गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपी) के तहत की गई थी। जाहिर है कि उनके ऊपर लागा गया आरोप निहायत ही गंभीर था, लेकिन जांच एजेंसियों ने वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की सुनिश्चित करने के तहत व्यक्तिकों को प्राप्त संवर्धक परिवर्त एवं महत्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन पुरकायस्थ की गिरफतारी की प्रक्रिया में इसी अधिकार का मनमाने द्वारा से अतिक्रम किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे पहले पूरी जांच-पड़ाल करके उसे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर व्यक्तियों को गिरफतार किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रवीर को बेदूर्म दर्शाया किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्तिकों पर गिरफतार किया जाए तो उससे लिखित तौर पर बताया जाए कि अधिकर, उसे क्यों गिरफतार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी जांच व्यवहार बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्तिकों पर रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे ल

विवेक के प्रकाश में ही कर्तव्य का दर्शन होता है

झूठ की पोल खुली

नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित करने के दो महीने के अंदर तीन सौ से अधिक लोगों ने नागरिकता प्रदान करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आजमाइए हैं एक सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही कहा कि इस कानून को लेकर ज्ञान का पहाड़ खड़ा किया गया और दो भी कराए गए। चूंकि झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम विक्षी दलों की ओर से किया गया, उन्हें लोगों को गुमराह कर संभोग पर उतारा। इन्हीं लोगों ने हिंसा और उपद्रव का सहाय दिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उनमें सरकारी एवं गैर-सरकारी संघर्षों को तो नुकसान पहुंचाया ही गया, जान माल की क्षति भी हुई। इन हिंसक प्रदर्शनों के कारण लाखों लोगों को परेशानी का समान करना पड़ा। दुर्भाग्य से दिल्ली के लोगों के कुछ ज्यादा ही, व्योंगिक वहां पर शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को अवरुद्ध कर महानों तक यातायात बाधित रखा गया। इसी अराजक धर्षने के कारण दिल्ली को भीषण दंगों का सामना करना पड़ा, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इससे देश की बढ़नामों भी हुईं, व्योंगिक इन दंगों के समय तक लालून अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को किस तरह बरालया गया, इसका प्रारंभिक वह है कि दो माह पहले जब इस कानून के नियम अधिसूचित किए गए तो कहीं कोई विरोध देखा कि नहीं मिला। विरोध के नाम पर केवल कुछ बयान जारी किए गए और वह भी सुसिलम बोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से। स्पष्ट है कि इस कानून के विरोध में सचमुच झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था और यह कोई अफवाह थी कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यह कानून तो तीन पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रतिद्वित किए गए वहां के उन अल्पसंख्यकों के लिए है, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए। बुधवार को ऐसे ही कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन दीन-हीन लोगों को नागरिकता देने का विरोध क्यों? अखिर इन प्रताडित लोगों को नागरिकता देना गलत क्यों? यह तो भारत का नैतिक विवित है और एक तरह से विभाजन के समय की भूल को सुधारने की विशेषता भी। यह शर्मनाक है कि कुछ दल और विशेष रूप से तुणमूल कांग्रेस एवं वामपंथी दल अभी भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को सी-विजिल जैसे एप का लोटेकर्म उपलब्ध कराया है जिससे न सिर्फ उसे अधिक सूचनाएं मिल रही हैं, बल्कि कार्बोर्वाई में भी तेजी है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि चुनाव में प्रयुक्त किए जा रहे धनबल का यह अोरक हिस्सा है। मतदाताओं को इसके इतर भी प्रलोभन देने की कोशिशें हो रही होंगी, जो चुनाव आयोग के अधिकारियों की निगाह में नहीं आ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि आयोग ने अब तक 285 करोड़ रुपये से अधिक की शराब और ड्रास जब्त की है, जो युवाओं के लिए खतरनाक है। मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनका बोत हासिल करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए नासरू है, जिसके लिए जाना चाहिए। यह इलाज को जरूरी करता है तो सिर्फ मतदाता। मतदाताओं को प्रत्याशियों का मंत्रक और अपने जोट का महत्व समझना होगा। ऐसे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बारे में न सिर्फ आयोग को सूचना देनी चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से उनके बहिकर का निर्णय किया जाना चाहिए। मतदातिकर इन्हीं स्टॉकों के नियम नहीं कि थोड़े से रुपयों या शराब की बोतल पर बिक जाए। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश अधिक होती है। महिला सहायता समूह अपनी सक्रियता से इस पर रोक लगा सकते हैं। प्रत्याशियों का चयन मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर और उसके आचरण के आधार पर किया जाए। ऐसा करके लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है।

चुनाव में धनबल

चुनाव में धनबल का प्रयोग कोई नई बात नहीं है और हर चुनाव में ऐसा करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इस बार का अंकड़ा चुनाव आयोग के लिए चिंता की बात है। यौंचे चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को किस तरह बरालया गया, इसका प्रारंभिक वह है कि दो माह पहले जब इस कानून के नियम अधिसूचित किए गए तो कहीं कोई विरोध देखा कि नहीं मिला। विरोध के नाम पर केवल कुछ बयान जारी किए गए और वह भी सुसिलम बोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से। स्पष्ट है कि इस कानून के विरोध में सचमुच झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था और यह कोई अफवाह थी कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यह कानून तो तीन पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रतिद्वित किए गए वहां के उन अल्पसंख्यकों के लिए है, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए। बुधवार को ऐसे ही कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन दीन-हीन लोगों को नागरिकता देने का विरोध क्यों? अखिर इन प्रताडित लोगों को नागरिकता देना गलत क्यों? यह तो भारत का नैतिक विवित है और एक तरह से विभाजन के समय की भूल को सुधारने की विशेषता भी। यह शर्मनाक है कि कुछ दल और विशेष रूप से तुणमूल कांग्रेस एवं वामपंथी दल अभी भी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। कि सत्ता में आते ही वह सबसे पहला काम इस कानून को खन्न करने का करेगी। अखिर आयोग या पिंक अन्य दल यह अमानवीय-अनैतिक काम करने का बाद आ गए।

इसलिए जाने की बात है कि पुरुषों की इस कैरियर से ज्यादा लोगों को इस कैरियर से ज्यादा होती है, लेकिन कमिला लोगों को पुरुषों की इस कैरियर से ज्यादा होती है, लेकिन यह भी यहां के लिए चिंता की बात है। यौंचे चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश के 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है। इन्हीं अरमानदारों के पांचे एक तो वहीं कारण है कि आयोग के पास बार अधिक संशोधन है और उसने लोगों को भारत की नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में लगे हुए हैं। जबकि विशेष चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रास, शराब एवं नक्काश जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से लेगुना से अधिक है।

